न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 67/2018

GCMS NO. : 2018/00144

–: प्रार्थी :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

1. सरदारराम उर्फ सीताराम पुत्र गोकलराम जाति– बावरी, निवासी– ग्राम हुनावास कलां, तहसील– जैतारण, जिला ब्यावर राज0।

1. कमला पत्नि जब्बरचंद
2. सीता पत्नि घेवरराम
3. डालकी पत्नि जोराराम
4. नारायण पुत्र हजारीराम
5. पूनाराम पुत्र हजारीराम फौत के का0मु0
   - 5/1 बुधाराम पुत्र पूनाराम
   - 5/2 थानाराम पुत्र पूनाराम
   - 5/3 भंवराई पत्नि पूनाराम
   - 5/4 सिरीया पुत्री पूनाराम
   - 5/5 किनीया पुत्री पूनाराम
6. ओमप्रकाश पुत्र गोपाराम
7. दुर्गाराम पुत्र गोपाराम
8. श्यामलाल पुत्र गोपाराम
9. बालूराम पुत्र गोपाराम
10. संतोष पुत्री गोपाराम
11. देवली पत्नि गोपाराम
12. लाबूराम पुत्र मंगाराम
13. सुखाराम पुत्र मंगाराम
14. शंकरलाल पुत्र मंगाराम
15. धन्नाराम पुत्र मंगाराम
16. झमूड़ी पुत्री मंगाराम जातियान– बावरी, निवासीगण–हुनावास कलां, तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर।
17. बिदामी पुत्री मंगाराम फौत के का0मु0
    - 17/1 हड़मान पुत्र बिदामी पत्नि रमजीराम
    - 17/2 श्रवण पुत्र बिदामी पत्नि रमजीराम
    - 17/3 सुआ पुत्र बिदामी पत्नि रमजीराम
    - 17/4 मूलाराम पुत्र बिदामी पत्नि रमजीराम
    - 17/5 मीठाराम पुत्र बिदामी पत्नी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

रमजीराम

18. रूपाराम पुत्र हीराराम

19. गोदावरी पत्नि मुकनाराम

जातियान–बावरी, निवासीगण–
पिपलिया खुर्द, तहसील–जैतारण
जिला–ब्यावर राज0।

20. तहसीलदार जैतारण,
जिला–ब्यावर राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 तारीख रजू:–09.04.2018

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री कल्याण कुमार व्यास, श्री महावीर सिंह, श्री महेन्द्रसिंह बारहठ, श्री अरूणसिंह राठौड़ अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः–26/11/2024

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि यह हैं कि सरहद मौजा हुनावास कलां पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जिसका प्रार्थी एक मात्र काबिल खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेश प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी की इस खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 44 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 45 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई है। जो राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। एवं अप्रार्थीगण की इस खसरा नम्बर 45 के दक्षिणी तरफ ही जैतारण से हुनावास कलां जाने वाला रास्ता खसरा नम्बर 46 आया हुआ है। जिसके नक्शा असल शीट की प्रति इस कार्यवाही के साथ पेश है। अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 45 मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारों के बीच अलग अलग बंटा हुआ है। जिसका नजरी नक्शा बनाकर इस कार्यवाही के साथ पेश किया जा रहा है। माफिक मौका स्थिति अनुसार चक जैतारण के चिपते हुये पश्चिमी तरफ अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के हक व हिस्से की भूमि है। उक्त अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 प्रार्थी के सगे छोटे भाईयों की बहूऐं है। तथा प्रार्थी एवं उसके भाई लादूराम पूर्व में इन्हीं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज भूमि में से होते हुये अपने खसरा नम्बर 44 तक आवागमन करते रहे है। तथा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जासुदा खसरा नम्बर 44 में आवागमन का एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 45 से होते हुये गुजरता है। जो इस कार्यवाही के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाया हुआ है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के अन्य विकल्पेन कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। तथा पक्षकारो के मध्य रास्ते को लेकर विवाद नही हो इस बाबत पूर्व में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 व प्रार्थी के बीच 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखत ईकरार भी दिनांक 07.012.2005 को किया गया था। जिसकी प्रति इस कार्यवाही के साथ पेश है। जिससे भी साबित है कि प्रार्थी नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते से ही होते हुये अपनी खातेदारी भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

आवागमन करता रहा है। तथा प्रार्थी के पास इस नजरी नक्शें में दर्शित रास्ते के अलावा विकल्पेन अन्य कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में जमीनों की कीमते बढ़ जाने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की नियत खराब हो गई है। तथा वह आये दिन प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 44 में आवागमन करने के लिए जो खसरा नम्बर 45 में से होते हुये रास्ता गुजरता है। उस रास्ते पर कांटे डालकर के रास्ते को अवरूध कर देते है एवं विवाद कर देते है। बार बार समझाईश करने के बाद उक्त रास्ता खुलवाया जाता है। लेकिन दिनांक 08.03.2018 को अप्रार्थीया सीता ने इस रास्ते पर कांटे डाल दिये एवं प्रार्थी को एलानिया कथन किया कि इस वर्ष वह इस रास्ते से होकर प्रार्थी को उसके खेत खसरा नम्बर 44 में नहीं जाने देगी। तब इन परिस्थितियों में प्रार्थी को भारी परेशानीयों को सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के पास इस रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्पेन रास्ता भी नहीं है। इस बाबत प्रार्थी ने तहसीलदार जी जैतारण के समक्ष भी आवेदन पेश किया है। जिस पर उन्होने इस सम्बन्ध में न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा है। जिस पर प्रार्थी के पास उक्त कार्यवाही पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह कार्यवाही अदालत श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत है। प्रार्थी व उसके परिवार वालों एवं गांव के मौजिज व्यक्तियों ने कई बार अप्रार्थीगण से रास्ता खुला रखे जाने हेतु समझाईश भी कर दी है लेकिन अप्रार्थीया सीता नहीं मान रही है। खसरा नम्बर 45 राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण के शामलाति दर्ज है, लेकिन मौके पर रास्ते के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 01 से 03 से ही विवाद है। शेष अप्रार्थीगण सहहिस्सेदार होने से उन्हें कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार यदि अप्रार्थीगण को खसरा नम्बर 45 से होकर यदि रास्ता नहीं खुलवाया जाता है तो प्रार्थी अपने खातेदारी सुदा खसरा नम्बर 44 में कृषि व उससे सम्बन्धित कार्य नहीं कर पायेगा। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही है। साथ ही प्रार्थी अप्रार्थीगण के ऐसे अवैधानिक कृतयों का विरोध करेगा जिससे विवाद बढेगा एवं मल्टीप्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग्स होगी इसलिए भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार मौके पर रास्ता खुलवाया जाकर उसे बतौर रास्ते के रूप में घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज व तरमीम किया जाना आवश्यक होने से यह कार्यवाही सादर पेश है। इस प्रकरण में अप्रार्थीगण को इस रास्ते की भूमि के बदले दिये जाने हेतु तय की जाने वाली राशि प्रार्थी जमा करने को तैयार व तत्पर है। प्रार्थना पत्र श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से प्रार्थना पत्र सादर पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जो सा०मि० है। अप्रार्थीगण संख्या 5/2 से 5/4, 8, 10, 12, 13, 14, 15 व 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17/4 को बार बार आवाजें दिलाई गई। बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 15, 17/2, 17/3, 17/5 की ओर से अधिवक्ता महेन्द्रसिंह बारहठ ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 16 की ओर से अधिवक्ता अरूणसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया, जो सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 11, 15, 16, 17/2, 17/3, 17/5 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कने हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना बंद किया जाता है।

तहसीलदार जैतारण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। तहसीलदार जैतारण की जांच व मौका रिपोर्ट पत्रांक क्रमांक/भू.अ.24/3978 दिनाँक

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

05.07.2024 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम हुनावास कलां के खसरा नंबर 44 रकबा 1.5054 हैक्टेयर में आवागमन हेतु कोई रेकर्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी को उक्त भूमि में जाने हेतु पास में स्थित खसरा नंबर 45 की भूमि में से निकलना पड़ता है। प्रार्थी की भूमि में पंहुचने हेतु सबसे निकटतम रास्ता खसरा नंबर 45 की मेड के सहारे ही है जो मार्क ए, बी दर्शाया गया है जो सबसे निकटतम है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। जिसकी डीएलसी एवं गणना रिपोर्ट तहसील राजस्व लेखाकर की संलग्न है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्षकारान् पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. सरहद मौजा हुनावास कलां पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जिसका प्रार्थी एक मात्र काबिल खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की इस खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 44 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 45 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई है। जो राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। एवं अप्रार्थीगण की इस खसरा नम्बर 45 के दक्षिणी तरफ ही जैतारण से हुनावास कलां जाने वाला रास्ता खसरा नम्बर 46 आया हुआ है। अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 45 मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारों के बीच अलग अलग बंटा हुआ माफिक मौका स्थिति अनुसार चक जैतारण के चिपते हुये पश्चिमी तरफ अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के हक व हिस्से की भूमि है। उक्त अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 प्रार्थी के सगे छोटे भाईयों की बहूऐं है। तथा प्रार्थी एवं उसके भाई लादूराम पूर्व में इन्हीं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज भूमि में से होते हुये अपने खसरा नम्बर 44 तक आवागमन करते रहे है। तथा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जासुदा खसरा नम्बर 44 में आवागमन का एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 45 से होते हुये गुजरता है। जो इस कार्यवाही के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाया हुआ है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के अन्य विकल्पेन कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।
2. अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थना मय जाँच व फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम हुनावास कलां के खसरा नंबर 44 रकबा 1.5054 हैक्टेयर में आवागमन हेतु कोई रेकर्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी को उक्त भूमि में जाने हेतु पास में स्थित खसरा नंबर 45 की भूमि में से निकलना पड़ता है। प्रार्थी की भूमि में पंहुचने हेतु सबसे निकटतम रास्ता खसरा नंबर 45 की मेड के सहारे ही है जो मार्क ए, बी दर्शाया गया है जो सबसे निकटतम है प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 176 मीटर व चौड़ाई 07 मीटर है यानि कुल 1232 वर्गमीटर है, उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।
3. **रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः-**

251- क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहां

(क)- कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

(ख)– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(A)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251ए में यह आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि रास्ता ऐसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि उसकी आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो।

4. हस्तगत प्रकरण में पटवारी पटवार हल्का गरनिया व भू अभिलेख निरीक्षक बैड़कला से फर्द मौका एवं तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक बैड़कला द्वारा प्रेषित मौका एवं तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन दिनाँक 17.06.2024 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 44 तक पहुंच के लिये कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता का है। प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 44 तक पहुंच के लिये न्यूनतम एवं निकटतम अभिलिखित रास्ता खसरा नंबर 45 की मेड के सहारे ही है जो मार्क ए,बी, से दर्शाया गया है। जिस में से पटवारी पटवार हल्का गरनिया की रास्ता की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 176 मीटर व चौड़ाई 07 मीटर है यानि कुल 1232 वर्गमीटर है,

5. तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील कार्यालय जैतारण की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को दिये जाने वाले रास्ते की प्रभावित भूमि ग्राम हुनावास कलां की प्रचलित डी0एल0सी0 दर 37.83 रूपये प्रति वर्गमीटर है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् प्रचलित डी.एल.सी. दर की दो गुणा (2.0) डीएलसी रेट मानते हुए कुल मुआवजा राशि 1232 वर्गमीटर ×75.66 रूपये = 93214/– रूपये राउण्ड ऑफ 93300/– रूपये अक्षरे तेरानवे हजार तीन सौ रूपये दिया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 44 तक पहुंच के लिये वांछित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक प्रकृति की है तथा वर्तमान में प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए भू–अभिलेख में कोई अभिलिखित पहुंच मार्ग नहीं है। इसलिए कानूनन प्रार्थीगण खातेदार की मांग पर न्यूनतम एवं निकटतम अभिलिखित अभिलिखित रास्ता खसरा नंबर 45 से होकर खसरा नंबर 44 मिल रहा है। जो पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक, बैइकला की नजरी नक्शा मौका रिर्पोट में मार्क ए,बी, से दर्शाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुये खसरा नम्बर 45 में से प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता लम्बाई 176 मीटर व चौड़ाई 07 मीटर है यानि कुल क्षेत्रफल 1232 वर्गमीटर को गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाना एवं जिसके प्रतिकर राशि स्वरूप राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के प्रावधान अनुसार प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अर्थात बाजार मूल्य के मद्देनजर ग्राम हुनावास कलां की उक्त सरकारी भूमि की अधिकतम डीएलसी रेट वर्तमान डी.एल.सी. दर की दो गुणा (2.0) मानते हुए कुल मुआवजा राशि 1232 वर्गमीटर ×75.66 रूपये = 93214/– रूपये राउण्ड ऑफ 93300/– रूपये अक्षरे तेरानवे हजार तीन सौ रूपये निर्धारित की जाकर उक्त राशि जो प्रार्थी से प्राप्त की जाकर अप्रार्थीगण को भुगतान की जानी है तथा उक्त प्रस्तावित भूमि को गैर मुमकिन रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम हुनावास कलां, पटवार हल्का गरनिया, तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर के खसरा 44 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम तक पहुँच मार्ग के लिये न्यूनतम एवं निकटतम अभिलिखित रास्ता खसरा संख्या 45 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी दोयम से प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 44 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम तक पहुंच के लिये खसरा नम्बर 45 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में से 176 मीटर लम्बा व 7 मीटर चौड़ा यानि कुल क्षेत्रफल 1232 वर्गमीटर का रास्ता पटवारी गरनिया व भू अभिलेख निरीक्षक बैइकला के द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप खसरा नम्बर 45 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में सें 1232 वर्गमीटर भूमि कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 37.83/– रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल 1232 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

93300/- रूपये (अक्षरे तेरानवे हजार तीन सौ रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार, जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थी से प्राप्त कर खसरा नम्बर 45 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के खातेदारान् को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि के अनुपात में भुगतान करनें का निर्देश दिया जाता है। खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। पटवारी, पटवार हल्का- गरनिया एवं भु अभिलेख निरीक्षक- बैड़कला द्वारा तैयार दिनांक 17.06.2024 की फर्द मौका रिपोर्ट इस आदेश का भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनाँक 26/11/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)